



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून  
फोन-0135-2641115 फैक्स-2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

## सार्वजनिक सूचना

**प्रारूप विनियम, उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018, [Draft UERC (Fees and Fines) (Second Amendment) Regulations, 2018] पर सुझाव आमंत्रण**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 सपठित धारा (1)(g) सपठित सह-धारा (2)(zg) तथा धारा 181 के सपठित धारा (2)(zp) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा उविनिआ (फीस एवं जुर्माना) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रारूप द्वितीय संशोधन विनियम आयोग की वेबसाईट [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) में अपलोड किया गया है।

- अधिनियम की धारा 181 की सह-धारा (3) के अंतर्गत प्रारूप विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.02.2018 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
- निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर विनियम को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव